



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012025-260349
CG-DL-E-21012025-260349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2025/पौष 30, 1946

No. 346]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2025/PAUSHA 30, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
आदेश

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2025

का.आ. 348(अ).—प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) के द्वारा पुरःस्थापित किया गया था और यह 1 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त हुई थी;

उक्त स्कीम को कार्यान्वित करते समय ऐसी परिस्थितियों में कठिनाई उत्पन्न हुई हैं, जहाँ,—

(क) किसी व्यक्ति के मामले में विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् 22 जुलाई, 2024 को या उससे पूर्व आदेश पारित किया गया था;

(ख) ऐसे आदेश के संबंध में किसी अपील को फाइल करने का समय उक्त तारीख को उपलब्ध था;

(ग) ऐसे आदेश के संबंध में कोई अपील उक्त तारीख के पश्चात्, ऐसी अपील को फाइल करने के रूप में निर्धारित समय के भीतर फाइल की गई थी; और

(घ) पूर्वोक्त अपील विलंब के लिए माफी के किसी आवेदन के बिना फाइल की गई है;

उक्त वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 98 में यह उपबंध है कि यदि स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, केन्द्रीय सरकार, स्कीम के उपबंधों से असंगत न होने वाले किसी आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर कर सकती है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 98 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: —

- (i) उक्त स्कीम के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति के मामले में, पूर्वोक्त अपील को 22 जुलाई, 2024 को लंबित माना जाएगा;
- (ii) उक्त स्कीम के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को अपीलकर्ता समझा जाएगा;
- (iii) ऐसे मामले में, विवादित कर की गणना ऐसी अपील के आधार पर की जाएगी; और
- (iv) उक्त स्कीम और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंध ऐसे मामले में तदनुसार लागू होंगे।

[सं. 8/2025 /फा. सं. 370153/01/2025-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति एवं विधायी प्रभाग